जनपद - संतकबीरनगर **प्रेस विज्ञप्ति** **दिनॉक 18-06-2021**

आज दिनांक 18.06.2021 को पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर **डा0 कौस्तुभ** के निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक **श्री संतोष कुमार सिंह** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य –

बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 37 / 2021 धारा 363 / 366 / 376 भादवि व 5/6 पाक्सो एक्ट में वांछित अभियुक्त रवि शर्मा पुत्र बृजमोहन निवासी टप्पल थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा दिनांक 18.01.2021 को वादी की पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था, जिसके संबन्ध में वादी द्वारा थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था, महिला संबन्धी अपराध की घटना की गंभीरता को देखते हुए थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 18.06.2021 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तारी टीम का विवरण- प्रभारी चौकी हरिहरपुर उ0नि0 श्री वीरेन्द्र सिंह यादव, कां0 सलमान अंसारी।

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 10 लीटर अवैध कच्ची शराब के अभियुक्त नाम पता रईस पुत्र अजीजुल्लाह निवासी खम्हरिया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर मु0अ0सं0 172 / 2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री उदयशंकर द्विवेदी मय हमराह।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार

- **थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना धनघटा पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

● **थाना महुली पुलिस द्वारा** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 3310 द्वारा विवाद मे घायल व्यक्ति को पहुंचाया गया अस्पताल – पीआरवी 3310 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत औराडाड़ से इवेन्ट संख्या 00028 से कालर ने दो पक्षों के विवाद में एक व्यक्ति के घायल होने के संबन्ध मे सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा तत्काल घटनास्थल पर 06 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद मे घायल व्यक्ति को जरिए एंबुलेंस से अस्पताल भेजवाया गया तथा विवाद के संबंध मे थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर विवाद मे घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ –आ0 मिथिलेश यादव, हो0चा0 राकेश सिंह।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 194 वाहनो से 1,77,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 18.06.2021 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 194 वाहनो से 1,77,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।